EDS 4 कलाई

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 2113 /11–सी–FP/UP/Road/17575/2016,लखनऊः दिनांकः अप्रैल 01 ,2016

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
जालौन सा0वा0 प्रभाग,
उरई।

विषयः– जनपद–जालौन में जालौन से उरई (बिलरायां–पनवाड़ी राजमार्ग सं0–21 के किमी0 352.00 से 370.45 एवं जालौन बाईपास होते हुए झांसी–भोगनीपुर–कानपुर मार्ग, एन0एच0 27 के किमी0 218.400 तक) फोर लेन के निर्माण हेतु 35.71435 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2530 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी का पत्रांक–5114/33–1, दिनांक–30.03.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1. याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु उस पर क्षेत्रफल 35.71435 के स्थान पर 35.71 ही अंकित किया गया है, ऑन–लाइन के अनुसार संशोधित करे।
2. प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरण से सम्बन्धित लैण्ड शैड्यूल संलग्न है किन्तु उस पर क्षेत्रफल 35.71435 के स्थान पर 35.71 ही अंकित किया गया है, ऑन–लाइन के अनुसार संशोधित करे।
3. परियोजना की स्वीकृति का शासनादेश/आदेश संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
4. परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या, प्रजातिवार वैज्ञनिक नाम, व्यासवार एवं उसका मूल्य, जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, संलग्न करें तथा सारांश भी संलग्न करें।
5. प्रस्तावित वनभूमि का Geo Refferenced Digital Map संलग्न है, किन्तु सी0डी0 जैकेट कवर सहित, जिस पर मार्कर पेन द्वारा विवरण अंकित हो, संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
6. प्रभावित संरक्षित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन के अतिरिक्त 4.55 हे0 पर भी प्राक्कलन संलग्न किया गया है, इसका क्या औचित्य है, स्पष्ट करें।
7. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map जो kml shp file में हों तथा सी0डी0 जैकेट कवर सहित, जिस पर मार्कर पेन द्वारा विवरण अंकित हो, संलग्न करें।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का स्पष्ट उपयुक्कता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किया गया है, संलग्न करें।
9. प्रस्तावित वन भूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरान्त बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
10. गजट नोटिफिकेशन की पठनीय, चिन्हित व प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
11. कमानुसार अंकित, पृष्ठ संख्या के साथ पूर्ण पृष्ठ तालिका की सूची संलग्न नहीं है, संलग्न करें।
12. प्रस्ताव के भाग–1 (x) में Total Period of diverted अंकित नहीं किया गया है तथा E-1 में generate employment नहीं दर्शाया गया है।
13. प्रस्ताव में अधिकांश स्थानों पर मोहर व हस्ताक्षर अंकित नहीं है तथा प्रस्ताव में कहीं–कहीं पर क्षेत्रफल 35.71 है0 अंकित किया गया है।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– /11–सी–FP/UP/Road/17575/2016,दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झाँसी।
2. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई, जनपद–जालौन।

(अरविन्द गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

ACY- 477